

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2015

का.आ. 1578(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 26-10-2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1822 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “हिमज्योति स्कूल, 15 ए अमृत कौर रोड, देहरादून, उतरांचल-248001 द्वारा हिमालयन स्कूल सोसाइटी” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 21-1-2009 की अधिसूचना सं० सां०आ० 240 (अ०) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 12-3-2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 667 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 21-1-2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 240 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को (12.40 करोड़ रुपये की एक कार्पस निधि सहित) 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 16.60 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत को (12.40 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित) 16.60 करोड़ रुपये से (16.40 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित) 22.00 करोड़ रुपये तक बढ़ने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को (12.40 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित) 16.60 करोड़ रुपये से (16.40 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित) 22.00 करोड़ रुपये तक संशोधित करने की सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “(क) हिमालयन स्कूल सोसाइटी, 15 ए अमृत कौर रोड, देहरादून, उत्तरांचल-248001 द्वारा चलाई जा रही हिमज्योति स्कूल” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और;

[(ख) उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 1882 (अ) दिनांक 26.10.2006 में निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः -

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 7 के कॉलम (4) में, जोकि धारा 35 क ग के अन्तर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में '**16.60 करोड़ रुपये** (12.40 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित)' अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर '**22.00 करोड़ रुपये** (**16.40 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित**)' अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं.149 /2015/फा. सं.वी -27015/1/2015 एस ओ (रा. स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)